

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

दिनांक

प्रार्थनी :-

1. चतरूदेवी पत्नि बांकाराम
जाति जाट
निवासी खारिया डेर (बीजराड़)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. वगतु पत्नि देवाराम 2. रूखमणाराम 3. गोकलाराम पि.
सिरामाराम 4. कुम्भाराम पुत्र गेनाराम, जाति जाट
निवासी खारिया डेर (बीजराड़), तहसील चौहटन
5. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 136/2022

दिनांक : 13.12.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 502/479 रकबा 19.11 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/2671 to 74

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थनी चतरूदेवी
3. विप्रार्थीगण वगतु वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 13/12/2022

(भागीरथ)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन